न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी– श्री एच. एन.सारस्वत, आर.एच.जे.एस.

अपील फौजदारी प्रकरण संख्या– 02 सन् 2014

श्री छोगालाल पुत्र सोहन, जाति– जाट, उम्र– 27 वर्ष, निवासी– खुमाखेडा, पुलिस थाना– रेलमगरा, जिला– राजसमन्द ।

––अपीलांट/विपक्षी

बनाम

1. श्रीमती भग्गु पत्नी छोगालाल, जाति– जाट, उम्र– 25 वर्ष, निवासी– सोनियाणा, थाना– रेलमगरा, जिला– राजसमन्द ।

––रेस्पोंडेंट/प्रार्थिया

2. सोहन पुत्र किशना, जाति– जाट,
3. रमेश पुत्र सोहनलाल, जाति– जाट,
4. प्रकाश पुत्र सोहनलाल, जाति– जाट,

सभी निवासी– खुमाखेड़ा, थाना– रेलमगरा, जिला– राजसमन्द ।

––प्रफॉर्मा रेस्पोंडेंट/विपक्षी

अपील विरूद्ध आदेश श्री लीलाधर स्वामी, आर.जे.एस. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, रेलमगरा जो कि विविध अपराधिक प्रकरण संख्या 23/2010 श्रीमती भग्गु/छोगालाल व अन्य में दिनांक 19.03.2013 को पारित किया गया

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश तलेसरा – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामलाल जाट – अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या–1
3. रेस्पोंडेंट संख्या–2 से 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

नि र्ण य दिनांक : 05.06.2014

1. यह अपील अपीलांट/विपक्षी की ओर से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, रेलमगरा द्वारा विविध अपराधिक प्रकरण संख्या 23/2010 श्रीमती भग्गु/छोगालाल व अन्य में दिनांक 19.03.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई है । इस आदेश के द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेंट/प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम, 2005 आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश दिया कि अपीलांट/विपक्षी प्रार्थिया को भरण पोषण हेतु 1200/– रूपये एवं उसकी पुत्री सुश्री कृष्णा को 1000/– रूपये मासिक भत्ता प्रार्थना प प्रस्तुत करने की दिनांक से प्रदान करे । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट/विपक्षी द्वारा यह अपील दिनांक 06.04.2013 को माननीय सेशन

न्यायालय, राजसमन्द के समक्ष प्रस्तुत की गई जहां से अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई ।

2. प्रकरण के तथ्यों के अनुसार दिनांक 04.12.2010 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट/प्रार्थिया श्रीमती भग्गु ने धारा 12 घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसका विवाह करीब 10 वर्ष पूर्व विपक्षी संख्या–1 के साथ हुआ और जब वह ससुराल जाने लगी तो उस समय विपक्षीगण का व्यवहार उसके साथ सही रहा परन्तु उसके बाद प्रार्थिया के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर उसे अनपढ़ होने एवं उसके अपंग लड़की पैदा होने के कारण ताने देने लगे एवं कहा कि तू अपने पिता से पांच लाख रूपये ला । उसने अपने पिता से बात की तो उन्होंने उसके जेठ रमेश को एक लाख रूपये दिये जिससे उसके ससुराल वालों का व्यवहार 4–5 दिन ठीक रहा परन्तु उसके बाद वापस मारपीट चालू कर दी और उसके सोने चांदी की जेवरात छीनकर घर से बाहर निकाल दिया तथा उसके जेवर, डायचा व भरण पोषण राशि देने मना कर दिया । प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा कि विपक्षीगण से उसके जेवरात व रूपये दिलाये जावें, उनके मकान में रहने हेतु जगह व दिलाई जावे एवं प्रार्थिया व उसकी अपंग बच्ची को खाना, कपड़ा, चिकित्सा व अन्य मद में 10,000/– रूपये प्रतिमाह दिलाये जावें तथा प्रार्थिया को 5 लाख रूपये व उसकी बच्ची को 3 लाख रूपये एकमुश्त जीवनयापन हेतु दिलाये जावें ।

3. विपक्षीगण की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विपक्षीगण ने प्रार्थिया को हमेशा सम्मान व स्नेह दिया है एवं कभी क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं किया व कभी रूपयों की मांग नहीं की, न ही उसके जेवर आदि छीने एवं न उसे घर से निकाला है । विपक्षी प्रार्थिया को अपने साथ रखना चाहता है परन्तु वह अपने पिता के सिखाने में आकर तलाक लेना चाहती है । वह स्वेच्छा से अपने जेवर लेकर अपने पीहर चली गई । वह अन्यत्र नाते जाना चाहती है, इसलिये यह झूंठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । विपक्षी बेरोजगार है जबकि प्रार्थिया मजदूरी व अपने पिता के खेतों में कार्य कर 12000/– रूपये मासिक कमा लेती है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

4. प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थिया ने स्वयं को ए डब्ल्यू–1 भग्गु व ए डब्ल्यू–2 पृथ्वीराज के रूप में परीक्षित करवाया है और दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये तथा विपक्षीगण की ओर

से एन ए डब्ल्यू–1 छोगालाल व एन ए डब्ल्यू–2 डालू को परीक्षित करवाया गया ।

6. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की बहस सुनने के पश्चात् आलौच्य आदेश दिनांक 19.03.2013 को पारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलांट/विपक्षी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

7. हमारे द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनी गयी ।

8. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मैमो में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों का सही रूप से विवेचन नहीं किया है । वास्तव में प्रार्थिया विपक्षी से विवाह विच्छेद चाहती है और इसी कारण उसने यह झूंठा प्रार्थना पत्र पेश किया था । स्वयं प्रार्थिया ने अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया है कि छोगालाल उसकी छोड़ छुट्टी कर दे तो वह मुकदमा उठाने को तैयार हूं परन्तु इस तथ्य पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है । इसके अलावा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थिया की पुत्री सुश्री कृष्णा के लिये भी भरण पोषण भत्ता स्वीकार किया है जबकि उसको न तो प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया था एवं न ही उसके लिये कोई अनुतोष चाहा गया था । ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश आपस्त किया जावे ।

9. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट/प्रार्थिया का दौराने बहस तर्क रहा कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधि का सही प्रकार विवेचन करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया है । स्वयं विपक्षी द्वारा प्रार्थिया श्रीमती भग्गु को अपनी पत्नी होना व सुश्री कृष्णा को अपनी पुत्री होना स्वीकार किया गया है, ऐसी दशा में उनका भरण पोषण करने की विधिक जिम्मेदारी विपक्षी की ही है । प्रार्थिया द्वारा केवल मात्र यह स्वीकार कर लेने से कि यदि विपक्षी छोड़ छुट्टी कर दे तो वह मुकदमा उठाने को तैयार है, यह नहीं माना जा सकता कि प्रार्थिया को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं हो और इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह पूर्णतया तथ्यों का विवेचन करते हुए विधि प्रावधान के तहत किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है । अतः अपीलांट पक्ष की अपील खारिज फरमाई जावे ।

10. हमने दोनों पक्षों की बहस ध्यानपूर्वक सुनी और पत्रावली एवं आलौच्य आदेश का गम्भीरता से अवलोकन किया ।

11. इस अपील के निस्तारण हेतु हम निम्न बिन्दुओं का विवेचन व विनिश्चय करना न्यायोचित समझते हैं :–

1. *आया रेस्पोंडेंट/प्रार्थिया एवं उसकी पुत्री सुश्री कृष्णा विपक्षी से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार हैं ?*
2. *आया विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों और उससे संबंधित विधि प्रावधानों के अनुरूप आक्षेपित आदेश पारित किया है ?*

12. उक्त तीनों बिन्दुओं की विषय वस्तु परस्पर संबंधित होने के कारण समय व सुविधा की दृष्टि से इन दोनों बिन्दुओं पर विवेचन व विनिश्चय एक साथ करना हम न्यायोचित समझते हैं ।

13. इस प्रकरण में यह अपीलांट/विपक्षी द्वारा स्वीकृत स्थिति है कि प्रार्थिया श्रीमती भग्गु उसकी विवाहिता पत्नी है एवं सुश्री कृष्णा उन दोनों की पुत्री है । विपक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि वर्तमान में उसकी पत्नी व पुत्री विपक्षी से अलग प्रार्थिया के पिता के पास रह रही है । अपीलांट/विपक्षी द्वारा यह बताया गया है कि उसके एवं उसके परिवार वालों के द्वारा प्रार्थिया के साथ कोई क्रूरता व घरेलू हिंसा नहीं की गई एवं वह अपनी मर्जी से अपने पिता के यहां रहना चाहती है एवं अन्यत्र नाता विवाह करना चाहती है तथा विपक्षी से छोड़ छुट्टी प्राप्त करने के लिये यह झूंठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है परन्तु प्रार्थिया ए डब्ल्यू–1 श्रीमती भग्गु द्वारा स्पष्ट रूप से अपने बयानों में सशपथ कथन किये गये हैं कि उसके ससुराल वाले उसके अपंग बच्ची पैदा होने के कारण ताने देते तथा पांच लाख रूपये लाने को कहते एवं उसके साथ मारपीट की तथा उसके जेवर लेकर घर से निकाल दिया । इस साक्षिया ने यह भी बताया है कि उसने पुलिस में रिपोर्ट की जो प्रदर्श–1 व चार्जशीट प्रदर्श–2 है । प्रार्थिया के उक्त कथनों की पुष्टि साक्षी ए डब्ल्यू–2 पृथ्वीराज ने भी की है । इस प्रकार प्रार्थी पक्ष की उपरोक्त मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से यह साबित है कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थिया के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर उसके साथ घरेलू हिंसा कारित की गई थी । प्रार्थिया द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि वह अपने पिता के यहां राजीखुशी से अपनी इच्छा से रह रही है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि विपक्षीगण द्वारा उसके साथ किसी प्रकार की क्रूरता कारित नहीं की गई अपितु इसका अर्थ तो यह है

कि प्रार्थिया के साथ विपक्षीगण द्वारा घरेलू हिंसा कारित कर घर से निकाल दिये जाने के कारण वह अपने पिता के यहां राजीखुशी से आराम से रह रही है तथा किसी अन्यत्र स्थान पर नहीं रहकर अपने पिता के यहां अपनी इच्छा से रह रही है । स्वयं विपक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वर्तमान में प्रार्थिया अपने पिता के पास रह रही है । प्रार्थिया द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि यदि छोगालाल उसे छूट चिट्ठी कर दे तो वह मुकदमा उठाने को तैयार है तथा छोगालाल उसे साथ रखना चाहे तो भी वह साथ रहने को तैयार नहीं है परन्तु इस साक्षिया ने यह भी कहा है कि उसे खतरा है । इस प्रकार जब प्रार्थिया की साक्ष्य से यह साबित हो चुका है कि विपक्षी एवं उसके परिवार वालों द्वारा प्रार्थिया के साथ घरेलू हिंसा की गई थी जिसके कारण उसे आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करवाना पड़ा था । इस प्रकार प्रार्थिया को विपक्षी के साथ रहने में खतरा है एवं उसके साथ पुनः घरेलू हिंसा कारित किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में स्वभाविक है कि प्रार्थिया का उसके पति के साथ रहना सुरक्षित नहीं है । हालांकि विपक्षी की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण एन ए डब्ल्यू–1 छोगालाल व एन ए डब्ल्यू–2 डालू की साक्ष्य के माध्यम से विपक्षी पक्ष ने यह साबित करने का प्रयास किया है कि प्रार्थिया विपक्षी से छूट चिट्ठी प्राप्त करना चाहती है एवं झगड़े की रकम प्राप्त करना चाहती है तथा जेवरात हड़प करना चाहती है परन्तु स्वयं प्रार्थिया ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि वह छूट चिट्ठी प्राप्त करने के बाद भी नाते नहीं जाना चाहती है और अपने पीहर में ही रहना चाहती है । इस प्रकार उपरोक्त परिस्थिति में प्रार्थिया के इस कथन को ही बल मिलता है कि प्रार्थिया अपने पति एवं उसके परिवार वालों द्वारा की गई घरेलू हिंसा से इतनी परेशान हो गई है कि वह विपक्षी से विवाह विच्छेद प्राप्त कर अन्यत्र विवाह भी नहीं करना चाहती है । यह स्वभाविक भी है कि हर स्त्री रोज–रोज़ की परेशानी और क्रूरता सहन करने के स्थान पर स्वतंत्र एवं निर्विघ्न जीवन व्यतीत करने को ही प्राथमिकता देती है एवं कोई भी स्त्री अकारण अपने पति से अलग अपने पीहर में रहना पसंद नहीं करती है । इस प्रकार रेस्पोंडेंट/प्रार्थिया विपक्षीगण द्वारा अपने के साथ घरेलू हिंसा कारित किया जाना साबित करने में सफल रही है एवं इस संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही प्रकार विवेचन किया गया है ।

14. जहां तक विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थिया व उसकी पुत्री को

भरण पोषण दिलाये जाने का प्रश्न है, तो इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट/विपक्षी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि सुश्री कृष्णा को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया जाने के बावजूद उसके पक्ष में भरण पोषण राशि स्वीकार करना विधि के विपरीत है क्योंकि उभयपक्ष द्वारा यह स्वीकृत स्थिति है कि सुश्री कृष्णा उभयपक्ष की पुत्री है एवं प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से अपने लिये एवं अपनी पुत्री के लिये भरण पोषण का अनुतोष चाहा है तथा विपक्षी ने प्रार्थिया को भी अपनी विवाहिता पत्नी होना स्वीकार किया है । ऐसी स्थिति में अपनी पत्नी व पुत्री का भरण पोषण करने का नैतिक व विधिक दायित्व विपक्षी का ही है एवं अपने इस दायित्व से प्रार्थी मुक्त नहीं हो सकता । इस प्रकार में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थिया एवं उसकी पुत्री सुश्री कृष्णा के लिये भरण पोषण स्वीकार करना पूर्णतया उचित व विधिसम्मत है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षी की आय के साधनों एवं प्रार्थिया की स्थिति का सही प्रकार से विवेचन करते हुए प्रार्थिया के लिये 1200/– रूपये प्रतिमाह एवं उसकी पुत्री के लिये 1000/– रूपये प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता स्वीकार किया है जो कि मामले की परिस्थितियों एवं पक्षकारों की स्थिति को देखते हुए किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है ।

15. उक्त विवेचन, प्रकट कारण व परिस्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पूर्णतया तथ्यों एवं विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है बल्कि इस आदेश की पुष्टि की जाना एवं अपीलांट/विपक्षी की अपील आधाहीन होने से निरस्त की जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

<u>आ दे श</u>

16. अतः अपील अपीलांट विरूद्ध रेस्पोंडेंट खारिज की जाती है एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 19.03.2013 की पुष्टि की जाती है ।

(एच.एन.सारस्वत)

17. यह निर्णय आज दिनांक 05.06.2014 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(एच.एन.सारस्वत)